

1482 कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल  
 विज्ञापन क्र० 1418 / सम्पदा / भोविप्रा / 24 भोपाल, दिनांक 18/7/24 2024  
 ररा पंजीयन क्रमांक P-BPL-17-286

**राजाभोज गोदरमऊ स्थित आवासीय भूखण्ड हेतु ऑन लाईन आफर**

प्राधिकरण की राजाभोज गोदरमऊ योजना स्थित आवासीय भूखण्ड का विक्रय निम्न तालिका में वर्णित होकर ऑन लाईन वेबसाईट <https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से ऑफर दिनांक 18-7-24 से दिनांक 1-8-24 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त आफर/आवेदन पत्र दिनांक 2-8-24 को खोले जायेंगे।

निम्न सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट [www.bda.org.in](http://www.bda.org.in) पर देखा जा सकता है।

अनु क्र०	भूखण्ड/ इकाई का विवरण	भूखण्डों /इकाइयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमी० प्रत्येक भूखण्ड	आरक्षण की श्रेणी, यदि आरक्षित हो	भूखण्ड/इकाई की आरक्षित कीमत प्रति भूखण्ड	वार्षिक पट्टा भाड़ा (पट्टे लीज) के प्रकरणों में	निक्षेप रकम /पंजीयन प्रति भूखण्ड
1	2	3	4	5	6	8	9
	भूखण्ड क्र०-198 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्गमी०	अनारक्षित	11,25,000/-	फ्री- होल्ड	1,12,500/-
	भूखण्ड क्र०-277 सेक्टर-सी		55.75 वर्गमी०		11,25,000/-		1,12,500/-

उपरोक्तानुसार विज्ञापन तैयार कर भूखण्डों का विक्रय ऑन लाईन के माध्यम से किये जाकर चयनित आवंटियों को निम्नलिखित शर्तों पर आवंटन किया जाना है।

1. भूखण्ड पर भारित सम्पत्ति कर एवं पुनर्निर्धारण शुल्क (भू राजस्व प्रीमियम राशि) रजिस्ट्री पृथक से देय होगा।
2. भूखण्ड पर भारित रहवासी समिति शुल्क एवं अन्य शुल्क तय अनुसार रजिस्ट्री पूर्व पृथक से देय होगा।
3. स्थल पर वास्तविक माप हेतु मीटर (एम.के.एस) यूनिट आधार मान्य होगा।
4. सम्पत्ति फ्री होल्ड पर विक्रय हेतु है।
5. जीएसटी एवं अन्य लागू टैक्स शासन नियमों के अनुसार देय होंगे।
6. भूखण्डों का विक्रय यथास्थिति में प्रस्तावित है।
7. भूखण्डों का स्थल पर निरीक्षण कर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
8. प्रचलित व्ययन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
9. आवेदक द्वारा पंजीयन कराने के पश्चात पंजीयन/आवंटन सुनिश्चित होने के बाद यदि आवंटी पंजीयन निरस्त करता है तो जमा पंजीयन राशि राजसात की जावेगी।
10. भूखण्ड की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी।
11. भूखण्ड कार्नर का होने पर कार्नर शुल्क की राशि नियमानुसार देय होगी।
12. किस्तों का निर्धारण निम्नानुसार देय होगा -
  - (1) ऑफर स्वीकृत राशि मूल्य से जमा पंजीयन राशि समायोजना पश्चात आवंटन आदेश जारी होने के 45 दिवस के अंदर सम्पूर्ण राशि अन्य देय राशियों सहित जमा किया जाना होगा। कार्नर भूखण्ड में विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत सीमांकन सत्यापन पर अधिक क्षेत्रफल प्राप्त होने की स्थिति में अतिरिक्त भूमि की राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

सम्पदा अधिकारी,  
 भोपाल विकास प्राधिकरण,  
 भोपाल